अध्याय 5

सतत विकास के लक्ष्य एवं भूजल

5.1 परिचय

सतत विकास को उस विकास के रूप में परिभाषित किया गया है जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। सतत विकास लोगों एवं ग्रह के लिए एक समावेशी, टिकाऊ, लचीले भविष्य के निर्माण की दिशा में ठोस प्रयासों का आह्वान करता है। संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) के 193 सदस्य राष्ट्रों ने सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अधिकारिक तौर पर ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्डः द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनबल डेवलपमेंट नामक एक नया सतत विकास एजेंडा अपनाया। इस एजेंडे में 17 लक्ष्य एवं 169 कार्य शामिल हैं। सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) की पूर्ति के लिए कार्यवाही 1 जनवरी 2016 से शुरू हुई एवं जिन्हें 31 दिसंबर 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन 17 लक्ष्यों में से एक लक्ष्य नामतः लक्ष्य 6- 'सभी के लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता एवं सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना' से संबंधित है। इस लक्ष्य के अंतर्गत कार्य बॉक्स 5.1 में दर्शाए गए हैं।

बॉक्स 5.1: लक्ष्य 6 के अंतर्गत कार्य

6.1 2030 तक, सभी के लिए सुरक्षित और किफायती पेयजल की सार्वभौतिक एवं समान पहुंच सुनिश्चित करना।

6.2 2030 तक, सभी के लिए समान एवं पर्याप्त स्वच्छता सुनिश्चित करना एवं खुले में शौच को समाप्त करना, कमजोर परिस्थितियों वाले लोगों और महिलाओं एवं लड़कियों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना।

6.3 2030 तक, प्रदूषण कम करके, खतरनाक रसायनों और सामाग्रियों के निस्तारण को कम करके तथा डपिंग को समाप्त करके अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और विश्व स्तर पर पुर्नचक्रण और सुरक्षित पुनः उपयोग को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

6.4 2030 तक, सभी क्षेत्रों में पानी के उपयोग की दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और पानी की कमी को दूर करने के लिए स्थायी निकासी और ताजे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा पानी की कमी से प्रताड़ित लोगों की संख्या को कम करना।

6.5 2030 तक, सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को लागू करना, जिसमें उपयुक्त सीमा-पार सहयोग शामिल है।

6.6 2020 तक, पहाड़ो, जंगलों, नमभूमि, नदियों, एक्विफर एवं झीलों सहित पानी से संबंधित पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा तथा पुर्नस्थापना करना।

6.ए 2030 तक, जल संचयन, अलवर्णीकरण, जल दक्षता, अपशिष्ट जल उपचार, पुर्नचक्रण एवं पुनः उपयोग प्रौद्योगिकियों सहित जल एवं स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण समर्थन का विस्तार करना; तथा

6.बी पानी और स्वच्छता प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी का समर्थन करना एवं उसे सुदृढ़ करना।

5.2 भूजल से संबंधित एस.डी.जी.-6 की पूर्ति के लिए गतिविधियां

नीति आयोग को ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्डः द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के समन्वय की भूमिका सौंपी गई है। नीति आयोग को समय-समय पर एस.डी.जी. पर आंकड़े एकत्र करने और गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखने के साथ-साथ मात्रात्मक रूप से लक्ष्यों को पूरा करने हेतु सक्रियता से काम करने की आवश्यकता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.) ने एस.डी.जी. लक्ष्यों एवं कार्यों को दर्शाने वाले संकेतकों को विकसित करने के लिए मंत्रालयों के साथ समांतर बातचीत की। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, एम.ओ.एस.पी.आई. के परामर्श से नोडल एवं अन्य मंत्रालयों से बातचीत के बाद लक्ष्यों एवं कार्यों का मसौदा तैयार किया गया है।

लक्ष्य 6 के लिए, भूजल से संबंधित डी.ओ.डब्ल्यू.आर.,आर.डी. एवं जी.आर. के लिए नीति आयोग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य तालिका 5.1 में दिखाए गए है।

तालिका 5.1 भूजल से संबंधित एस.डी.जी. के लक्ष्य

लक्ष्य	योजना	संबंधित मंत्रालय/विभाग
6.4 2030 तक, सभी क्षेत्रों में पानी के उपयोग की दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और पानी की कमी को दूर करने तथा पानी की कमी से पीड़ित लोगों की संख्या को काफी हद तक कम करने के लिए मीठे पानी की स्थायी निकासी और आपूर्ति सुनिश्चित करना	भूजल प्रबधन एवं विनियम	डी.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर.
6.6 2020 तक, पहाड़ों, जंगलों, नमभूमि, नदियों, एक्विफरों और झीलों सहित पानी से संबंधित पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा एवं पुर्नस्थापना	भूजल प्रबंधन और विनियम	डी.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी. आर.
6.बी जल और स्वच्छता प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी का समर्थन और सुदृढ़ीकरण	लिंक नहीं है*	डी.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर.

*नीति आयोग द्वारा इस लक्ष्य को किसी योजना के साथ लिंक नहीं किया गया है।

नीति आयोग द्वारा एस.डी.जी. के मसौदे की पृष्ठभूमि में, लेखापरीक्षा द्वारा सी.जी.डब्ल्यू.बी. और डी.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर. के अभिलेखों से

एस.डी.जी. 6 के तहत प्रासंगिक लक्ष्यों के प्रति स्थिति का आकलन किया गया। अवलोकन इस प्रकार है।

5.2.1 लक्ष्य 6.4

लक्ष्य 6.4 के लिए, नीति आयोग ने एक संकेतक की पहचान की है अर्थात् 'शुद्ध वार्षिक उपलब्धता के मुकाबले वार्षिक भूजल निकासी का प्रतिशत'। नीति आयोग के अनुसार, इस संकेतक के लिए वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय लक्ष्य मान 70 रखा है। अतः, यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है यदि शुद्ध वार्षिक उपलब्धता के मुकाबले वार्षिक भूजल निकासी प्रतिशत 70 प्रतिशत या उससे कम रहता है।

जैसा कि इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 में पहले ही बताया गया है, 2004 से 2017 तक की अवधि के दौरान, सुरक्षित (<70%) के रूप में वर्गीकृत मूल्यांकन इकाईयों के प्रतिशत में गिरावट आई है, जबकि अर्ध-संकटपूर्ण, संकटपूर्ण और अतिदोहित (>70%) के रूप में वर्गीकृत मूल्यांकन इकाईयों के प्रतिशत में लगातार वृद्धि हुई है। भूजल की निकासी का समग्र चरण 2004 में 58 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 63 प्रतिशत हो गया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी.जी.डब्ल्यू.बी. के अंतिम आकलन (मार्च 2017) के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर यह मान 63 प्रतिशत था, आठ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ऐसे है जहां यह मान लक्षित मान 70 से अधिक है (चार्ट 5.1)।

चार्ट 5.1: भूजल निष्कर्षण के उच्च चरण वाले राज्य

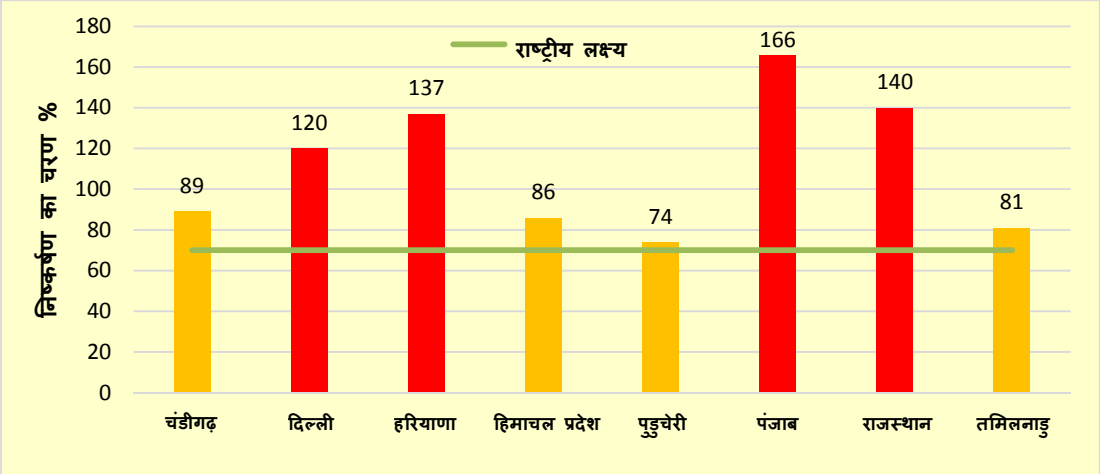

हालांकि जिला स्तर पर, यह पाया गया कि 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 534 जिलों में से 202 जिलों में निष्कर्षण के चरण की दर 70 प्रतिशत से अधिक थी (चार्ट 5.2)। इन 202 जिलों में निष्कर्षण के चरण की दर 71 प्रतिशत से 385 प्रतिशत तक है। विवरण ***अनुलग्नक 5.1*** में वर्णित है।

चार्ट 5.2: भूजल निष्कर्षण के उच्च चरण वाले जिले

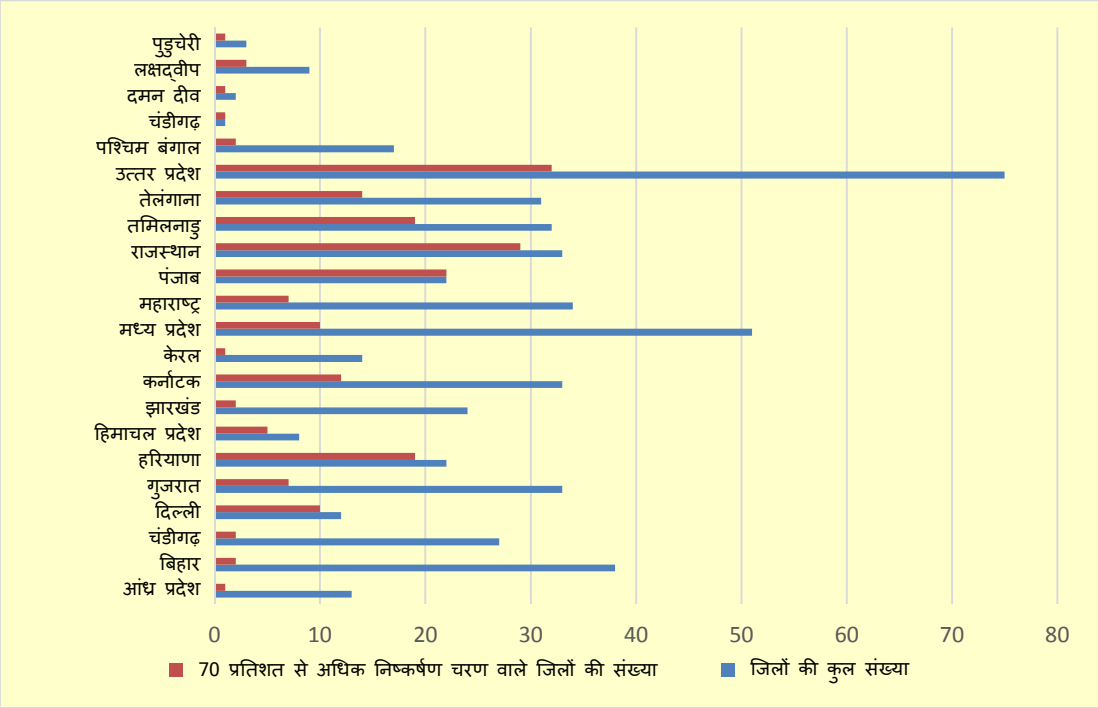

विभाग/ सी.जी.डब्ल्यू.बी. को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मामलों को संबोधित करने हेतु भूजल के निष्कर्षण के चरण के नए मूल्यांकन और योजना के हस्तक्षेप के संबंध में लक्ष्य 6.4 के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

5.2.2 लक्ष्य 6.6

लक्ष्य 6.6 पहाड़ों, जंगलों, नमभूमि, नदियों, एक्विफर और झीलों सहित पानी से संबंधित पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा एवं पुर्नस्थापना से संबंधित है। सी.जी.डब्ल्यू.बी. ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान अपनी भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के एक भाग के रूप में, एक्विफर मैपिंग और एक्विफर प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु एक घटक प्रस्तावित किया था, जिसे 2017-20 के दौरान आगे भी जारी रखा जाना था। एक्विफर मैपिंग के तहत, भूगर्भिक, भूभौतिकीय, जल-भूगर्भिक, जल विज्ञान और जल गुणवत्ता डेटा के संयोजन को एक्विफर में भूजल की मात्रा, गुणवत्ता और वितरण को चिन्हित करने के लिए एकीकृत किया जाता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 24.8 लाख कि.मी. के कुल चिन्हित क्षेत्र जिसकी मैपिंग एन.ए.क्यू.यू.आई.एम. के तहत की जानी थी, में से सितंबर 2020 तक 13 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र कवर किया गया था। लेकिन केवल 6.5 लाख वर्ग कि.मी. (कवर क्षेत्र का 50 प्रतिशत) जो कि 29 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आता है कि एक्विफर मैपिंग रिपोर्ट अंतिम रूप से तैयार की गई थी। इसमें कई और कमियाँ भी थी जिनके बारे में चर्चा इस प्रतिवेदन के अध्याय 4 में की जा चुकी है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सी.जी.डब्ल्यू.बी. द्वारा सभी एक्वीफर्स के लिए मानचित्र तैयार नहीं कर पाया है, अतः केंद्र व राज्य सरकारें इन मानचित्रों के अभाव में लक्ष्य के अनुसार इन एक्वीफर्स की सुरक्षा के लिए रणनीति बनाने एवं लागू करने में अक्षम हैं। उल्लेखनीय है कि इस लक्ष्य को 2020 तक प्राप्त किया जाना है।

5.2.3 लक्ष्य 6 बी

लक्ष्य 6 बी जल प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को समर्थन एवं मजबूती प्रदान करने से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति (2012) में यह भी बताया गया है कि अति-दोहित क्षेत्रों में भूजल स्तर में हो रही गिरावट को रोकने के लिए पानी के उपयोग की उन्नत तकनीकों का प्रयोग, कुशल जल उपयोग को प्रोत्साहित करने और एक्वीफर्स के समुदाय आधारित प्रबंधन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तदानुसार, डी.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर. ने बारहवीं योजना (2012-17) के दौरान अपनी भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के एक भाग के रूप में सहभागी प्रबंधन के एक घटक का प्रस्ताव रखा था। भूजल को सामान्य पूल संसाधनों के रूप में समुदाय और हितधारकों द्वारा निगरानी व प्रबंधित करने हेतु सहभागी प्रबंधन की परिकल्पना की गई थी। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर सरकारी विभागों, अनुसंधान संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों और हितधारकों को शामिल करके समन्वित प्रयास की आवश्यकता है।

हालांकि, जैसा कि इस प्रतिवेदन के अध्याय 4 में वर्णित किया गया है, विभाग द्वारा इस घटक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा, 2017-20 के दौरान इस योजना के विस्तार के संदर्भ में, अखिल भारतीय दायरे के इस घटक को हटाकर एक अन्य योजना अटल भूजल योजना में शामिल किया गया था जो कि वर्ष 2019 में लागू हुई थी और केवल 7 राज्यों तक सीमित थी। इस लिए इस लक्ष्य के संबंध में सरकारी पहल में विलंब हुआ और इस प्रकार, भूजल के संबंध में लक्ष्य 6 बी अप्राप्त है।

5.3 निष्कर्ष

एस.डी.जी. की उपलब्धि के लिए सी.जी.डब्ल्यू.बी. की गतिविधियाँ नीति आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और संकेतकों के अनुरूप नहीं थीं। भूजल के निष्कर्षण के चरण से संबंधित एस.डी.जी. 6.4 के संबंध में, हालांकि राष्ट्रीय स्तर निर्धारित लक्ष्य के भीतर था, आठ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे जहां इसका उल्लंघन हुआ। सी.जी.डब्ल्यू.बी. स्वयं के एक्वीफर्स के मानचित्रीकरण के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका तथा जिसके चलते एस.डी.जी. 6.6 के तहत एक्वीफर्स के संरक्षण और पुर्नस्थापना के लिए रणनीति बनाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सक्षम बनाने कि स्थिति में नहीं था।

सी.जी.डब्ल्यू.बी. ने एस.डी.जी. 6 बी. के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी, चूंकि इस एस.डी.जी. से संबंधित घटक अर्थात भूजल से संबंधित सहभागी प्रबंधन को भूजल प्रबंधन एवं विनियमन योजना से हटाकर दिसंबर 2019 में शुरू हुई एक नई योजना में शामिल कर दिया गया था।

5.4 सिफारिशें

1. विभाग सी.जी.डब्ल्यू.बी. के अधिदेश की समीक्षा कर सकता है और 2030 के एजेंडे के अंतर्गत सतत विकास के लक्ष्यों हेतु देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए संगठन को मजबूत करने हेतु कदम उठा सकता है।
2. विभाग चिन्हित लक्ष्यों में से प्रत्येक के तहत की गई प्रगति का आकलन कर सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत प्रतिबद्धता के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है, निश्चित कार्रवाई भी कर सकता है।

(संजय कुमार झा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग

नई दिल्ली
दिनांक: 08 अक्टूबर 2021

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 18 अक्टूबर 2021